



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-2269-औ०सं०/2017-19(125)ए०एस०/०१

दिनांक : 01 मई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण एवं परिचालन आदि कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश सं०-2347-औ०सं०/2012-19(125)ए०एस०/2001 (टी०सी०) दिनांक 03.08.2012 को संशोधित करते हुये निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 01.05.2017 को परिचालन माध्यम से एतद्वारा निम्न संकल्प पारित किये गये :-

1. वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों का अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य हेतु नियोजित संविदा श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (Contracting Engineer) द्वारा तात्कालिक सहायता रु० 5.00 लाख अनुग्रह राशि के रूप में स्वीकृत करते हुए मृतक संविदा श्रमिक के परिजनों को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से भुगतान करेंगे।
2. कारपोरेशन द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान की गई धनराशि रु० 5.00 लाख की वापसी हेतु संविदाकारों द्वारा नियोजित श्रमिकों का रु० 5.00 लाख का बीमा सामूहिक रूप से कराया जायेगा। उक्त बीमे हेतु संविदाकार को श्रमिकों की मजदूरी के साथ बीमा की राशि का भुगतान किये जाने की नीति विद्यमान है। बीमे की राशि इंश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर संविदाकार द्वारा उक्त धनराशि रु० 5.00 लाख सम्बन्धित खण्ड में 120 दिन में जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा सम्बन्धित संविदाकार के बीजक से रु० 5.00 लाख की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। तदनुसार अनुबन्ध की शर्तों में इसका उल्लेख भी किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड/मण्डल के अन्तर्गत अनुग्रह राशि के भुगतान किये जाने एवं निर्धारित समयावधि में प्राप्ति का लेखा-जोखा रखने का दायित्व इकाई के लेखाकार का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी एवं लागू माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन)

संख्या-2269-औ0सं0/2017, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, केस्को, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त ओदश की प्रति अधिनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
9. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल/पत्रावली सं0-19(125)ए0एस0/01।

Nof Matti
1.5.17

(नवनीत माथुर)

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)